

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

पुनर्की देवी बनाम राजाराम कृष्ण

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 71/सन् 2023

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इर हुक्म की तामिल में जारी हुए
-------	------------------------------------	---

86/13 वकील वादी / वादीगण उपस्थित।
 वकील वादी / वादीगण ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना-पत्र धारा 80(2) सी.पी.सी. का भी पेश किया है जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुममित प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 26/7/23 को पेश हो।

25/212
 116/23

उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 जैतारण (पाली)

7/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर,
 वकील वादी के प्रार्थना पत्र 022 RT Act के तहत पेश किया
 जा रहा है। प्रतिवादी सामिल नहीं हुई। पत्रावली
 बख्त इस मापदर दिनांक 24/7/23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

8/23 पत्रावली पेश हुई आज S.O. के तहत जैतारण जिले के अहकाम
 के तहत कार्य स्विकृत किया जा रहा है। आयन्दा दिनांक
 17/10/2023 को पेश हो

8/23 वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्रावली करते हैं पत्रावली पेश हुई।
 वकील वादी के प्रार्थना पत्र के तहत पेश किया कि प्रार्थना पत्रावली
 पत्रावली को ही लक्ष्य है, उनके मापदर अधिबन्धन के
 तहत नहीं कर रहे हैं। अतः वादी को बख्त जरिये
 अधिबन्धन प्रकाशित करते ही अनुमति करवाते।
 प्रार्थना पत्रावली (नकल) व वकील वादी द्वारा गठ
 रखाई करते हैं प्रार्थना पत्रावली करते हैं वकील वादी



